

२९/०४/२२, आज यह प्रश्न पत्रावली मूल वाह के साथ
पेश हुई। यंत्रि प्रार्थी की आज मूल वाह
पत्रावली विज्ञा कर स्वार्थ की जा चुकी है।
जब इस पत्रावली का कोई औचित्य नहीं
रह गया है। अतः प्रार्थी की यह प्रश्न पत्र

यक वलकट
पत्रावली (अला...)

शर रात पतावली भी बिजो कर खारिज की जाती है।
पूर्व में जारी अन्तर्गत स्थगन आदेशा निरस्त किये
जाते है। पतावली फौजल शुमार होकर नम्बर से कम
हो। कोह सफ़ीय संलग्न मूल दावा पतावली से
सुनाया गया।

सहायक वकील
मुण्डावर (अलग) राज